न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-89RAAJodhpur2024-38RTA223 harish ors Vs Jaikishan etc

01. हरीश पुत्र श्री कालूराम
02. अशोक पुत्र श्री कालूराम
03. मन्जू पुत्री श्री कालूराम

सभी नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती पिस्तादेवी पत्नी श्री कालूराम जी जातियान विश्नोई निवासी रामड़ावास कला, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. जयकिशन पुत्र श्री पुरखाराम जी
2. कालूराम पुत्र श्री जयकिशन
3. सुन्दर पुत्र श्री जयकिशन
4. प्रेम पुत्री श्री जयकिशन
5. पिस्ता पुत्री श्री जयकिशन
6. कमला पुत्री श्री जयकिशन
7. सिंवरी पुत्री श्री जयकिशन
8. रिंकू पुत्री श्री जयकिशन
9. रामदयाल पुत्र श्री हरभजराम
   सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण रामडावास कला, तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27 दिसंबर 2023 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 90/2018 हरीश व अन्य बनाम जयकिशन इत्यादि

उपस्थित–

श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. एक, तीन से आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 10

नि र्ण य

दिनांक : 07 मार्च 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 90/2018 अनवान हरीश व अन्य बनाम जयकिशन इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27 दिसंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 मार्च 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 29 रकबा 30 बीघा, खसरा नं0 37 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 391 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 03 कुल रकबा 50 बीघा 09 बिस्वा ग्राम रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्सें की खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2023 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे में विवादग्रस्त भूमि मे अपने पिता कालूराम के 1/8 हिस्से में अपीलांट्स को खातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक अपीलार्थी को 1/32–1/32 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा किया जाने का अनुतोष चाहा। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादीगण/अपीलार्थीगण को 1/32–1/32 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर दी, लेकिन प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त भूमि का बेचान नही करने, एवं न अपीलार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करने बाबत कोई आदेश पारित किया तथा न ही रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या एक बिना बटवाड़ा करवाये पहले भी रेस्पोडेन्ट संख्या 09 को भूमि का बेचान कर चुका है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक अपने नाम से भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर आगे विवादग्रस्त भूमि का अजनबी क्रेता को बेचान करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर तुला हुआ है जिससे अपीलार्थी को अपार नुकशान होगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किये जाने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पूर्ण नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवश्यकता होने पर अपीलांट्स को बुला लिया जायेगा। अपीलांट्स दिनांक 15.01.2024 को अपने अधिवक्ता के पास मामले की जानकारी लेने हेतु गये तो अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मामले में निर्णय पारित हो चुका है। तब अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल लेकर जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं की गई है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा विधिनुसार निर्णय किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद माफिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। रेस्पोडेंट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वादीगण का वाद स्वीकार किया गया है। कानूनन दादा के विरूद्ध पौत्र वाद नहीं ला सकता है, फिर भी मामले में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है, जिसमें रेस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट्स द्वारा केवल मामले का अटकाने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं अनुतोष विहिन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिससे अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की शुरूआत से ही जानकारी होना लाजमी है। फिर भी न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के माफिक वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या दो को वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 29, 37 व 391 कुल रकबा 7.1921 हैक्टेयर में 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील केवल मामले का लंबा करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं अनुतोष विहिन पाये जाने से खारिज योग्य ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में विधिसम्मत अंतिम डिक्री जारी करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-89RAAJodhpur2024-38RTA223 harish ors Vs Jaikishan etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. हरीश पुत्र श्री कालूराम 02. अशोक पुत्र श्री कालूराम 03. मन्जू पुत्री श्री कालूराम सभी नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती पिस्तादेवी पत्नी श्री कालूराम जी जातियान विश्नोई निवासी रामड़ावास कला, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।	ब ना म	1. जयकिशन पुत्र श्री पुरखाराम जी 2. कालूराम पुत्र श्री जयकिशन 3. सुन्दर पुत्र श्री जयकिशन 4. प्रेम पुत्री श्री जयकिशन 5. पिस्ता पुत्री श्री जयकिशन 6. कमला पुत्री श्री जयकिशन 7. सिंवरी पुत्री श्री जयकिशन 8. रिंकू पुत्री श्री जयकिशन 9. रामदयाल पुत्र श्री हरभजराम सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण रामडावास कला, तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर । 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि

यह अपील बतारीख 07 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डारा मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में विधिसम्मत अंतिम डिक्री जारी करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 07 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील.फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर